झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)देव०–05–01 / 2015 ..... / राँची, दिनांक

आदेश

श्री रामलोचन महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, देवघर (ID- JC0211) द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में डढ़वा वीयर केनाल योजना के पुनर्स्थापन कार्य में बरती गई अनियमितता लापरवाही की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से कराया गया। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्नलिखित अनियमितता प्रतिवेदित की गई :–

(क) झाड़ी सफाई मद में कुल 88,160.04 (अठासी हजार एक सौ साठ रू० चार पैसे) का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इसके लिए कार्य के कार्यान्वयन में संलग्न अभियंता दोषी है।

(ख) स्वीकृत प्राक्कलन के साथ संलग्न नक्शा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं है। संरचना निर्माण हेतु सक्षम स्तर से संरचना के आलेख्य का अनुमोदन होना चाहिए।

बिना अनुमोदित आलेख्य के तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अभियंता दोषी हैं।

(ग) नक्शा स्वीकृत कराये बिना योजना का कार्य कराने के लिए कार्य के कार्यान्वयन में संलग्न अभियंता दोषी है।

2. उड़नदस्ता द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन में अनियमित भुगतान / अनियमितता की पुष्टि के आलोक में श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री महतो द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों को रखा गया :–

(क) जंगल सफाई मद में अधिकाई दर की स्वीकृति दी गई है, जिस कारण 88,160.04 रू० का अनियमित भुगतान का मामला प्रतीत होता है। दर स्वीकृति का मामला अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता से संबंधित है। जाँच प्रतिवेदन में कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

(ख) उच्चाधिकारियों द्वारा बिना अनुमोदित आलेख के तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी कार्य कराने से संबंधित आरोप के संबंध में कहना है कि उस समय यह बात संज्ञान में लाया गया था, परन्तु उनके द्वारा यह कहा गया कि पुराने Alignment पर कार्य किया जा रहा है, इसलिए आलेख अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

4. विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त प्रतिवेदन एवं श्री महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि :–

(क) बिहार सरकार हस्तक अनुपूरक के पृ०– 191 से 196 में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के केन्द्रीय अनुसूचित निर्धारण समिति की दिनांक– 11.01.1984 की बैठक की कार्यवाही की कंडिका–4.2 में मद सं०–4.36 को मात्र मौलिक कार्य में तथा उसमें भी ऐसे ही कार्य स्थानों पर व्यवहार किया जाय जहाँ 6'' (150 mm) व्यास तक के पौधे अधिक मात्रा में हो तथा जिन्हें काटकर एकत्रित किया जा सके और लेखा में लेने के पश्चात् उन्हें निलाम या व्यवहार किया जा सके।

इस मामले में उपरोक्त के अनुसार कटे हुए पौधों की निलामी कर राजस्व की प्राप्ति नहीं की गई है।

P.T.O

(ख) बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के पत्रांक– 3587 दिनांक– 11.10.1980 में यह निदेश है कि तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उस कार्य का कार्यकारी नक्शा एवं विशिष्टियाँ सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत है।

इस मामले में स्वीकृत नक्शा के बिना ही कार्य सम्पादित कराया गया है।

5. सम्यक् समीक्षोपरान्त उपरोक्त प्रमाणित दोष के आलोक में श्री रामलोचन महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश सं०– 3296 दिनांक– 11.08.2020 द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(क) अगले एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री महतो द्वारा अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों को रखा गया है :–

(क) डढ़वा वीयर योजना वर्ष 1968 की योजना है एवं लगभग विगत् 20 वर्षो में इस योजना का जिर्णोद्धार कार्य नहीं कराया गया था। वर्ष 2014–15 में कार्य प्रारम्भ करने के पहले नहर का Working pre-level लेने के दौरान नहर में अवस्थित जंगल झाड़ी का फोटोग्राफ लिया गया था। उक्त फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में संलग्न करते हुए कहना है कि फोटोग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट है कि नहर के Inner side एवं Bank में अधिकांश रूप से झाड़ियां, छोटे–छोटे पेड़–पौधों के साथ कुछ 6" (150 mm) व्यास के अवस्थित पेड़–पौधों की उपलब्धता के आधार पर नहर के विभिन्न चेन पर मात्र Inner slope एवं Bank में पौधों की कटाई सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन में सन्निहित जंगल सफाई के दर के अनुरूप किया गया है। झारखण्ड सरकार अन्तर्गत PWD code, 2012 ds Paragraph 269, Page 59 के अनुसार अनुपयोगी सामानों को अधीक्षण अभियंता के आदेश अनुसार dispose किया जा सकता है। दिनांक– 17.04.2015 को निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता द्वारा defective Materials हटाने के निदेशानुसार संवेदक द्वारा कटाई किये गये अनुपायोगी खजूर, बबूल के पेड़–पौधों एवं झाड़ियों को कार्यस्थल से हटा लिया गया था, उड़नदस्ता द्वारा जाँच के दौरान 6" (150mm) के पेड़–पौधों का न होने का आभास उल्लेखित हैं एवं अनियमित भुगतान किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कहा गया है, परन्तु ऐसा आभास एवं प्रतीत होने का कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। अतः इसमें मेरे द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं बनती है।

विपत्र में पेड़ कटाई एवं झाड़ी साफ करना स्वीकृत दर से मापीपुस्त में अंकित किया गया है। योजना का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जाता रहा है। भुगतान एवं नियम 1.7.3 अथवा 1.7.2 पर निर्णय लेना सहायक अभियंता के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(ख) नक्शा पास होने के आरोप के संबंध में कहना है कि वर्ष 1968 में स्वीकृत प्राक्कलन, अनुमोदित आलेख एवं स्वीकृत अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए पूर्व के निर्मित संरचनाओं का मरम्मति पुर्नस्थापन एवं जिर्णोद्धार कार्य सक्षम पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कराया गया है। स्वीकृत नक्शों की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि मेरे द्वारा इस कार्य में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

P.T.O

7. उक्त अभ्यावेदन में रखे गये तथ्यों पर विभागीय उड़नदस्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया। विभागीय उड़नदस्ता द्वारा श्री महतो द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन में रखे गये तथ्यों को खारिज करते हुए निम्न मंतव्य दिया गया :–

(क) जंगल सफाई के दौरान झाड़ियां, छोटे–छोटे पेड़–पौधों के साथ कुछ 6" (150mm) व्यास के पेड़ की कटाई से प्राप्त 6" (150mm) व्यास के पेड़ को लेखा में संधारित करने एवं राजस्व प्राप्ति से संबंधित अभिलेख जाँच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार यदि 6" (150mm) व्यास तक के पेड़ थे तो उनकी कटाई कर लेखा संधारण एवं राजस्व प्राप्ति से संबंधित अभिलेख जाँच दल को उपलब्ध कराना चाहिए था। दिनांक–17.04.2015 को अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जसीडीह द्वारा कार्य स्थल के चेन सं०–114 एवं 125 पर रखे गये Defective Material यथा बोल्डर एवं Over size hand broken metal को हटाकर एकरारनामा में प्रावधानित अर्थात् 40mm एवं डाउन metal से ढलाई कराने का निर्देश दिया गया है। अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य स्थल से Defective material हटाने के लिए दिये गये निर्देश का कटाई किये गये अनुपयोगी खजूर, बबूल के पेड़–पौधों इत्यादि को हटाने का निर्देश के रूप में व्याख्या करना उचित नहीं है।

(ख) जाँच दल को स्वीकृत कार्यकारी प्राक्कलन के साथ जिर्णोद्धार के पूर्व वर्ष 1968 में स्वीकृत प्राक्कलन, अनुमोदित आलेख एवं स्वीकृत अनुसंधान प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराया गया था। कार्यकारी नक्शा सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराये बिना वर्ष 1968 में स्वीकृत प्राक्कलन अनुमोदित आलेख इत्यादि का हवाला देकर कार्य कराना नियम के विरूद्ध है। यदि 1968 में स्वीकृत प्राक्कलन अनुमोदित आलेख इत्यादि उपलब्ध था तो उसे जाँच दल को जाँच के समय उपलब्ध कराना चाहिए था।

विभागीय उड़नदस्ता से प्राप्त प्रतिवेदन/मंतव्य पर अभियंता प्रमुख–I द्वारा भी सहमति व्यक्त किया गया।

8. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री रामलोचन महतो तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

अतएव, एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(प्रेम कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1492 राँची/दिनांक 11/3/22

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 03, जल संसाधन विभाग, राँची /मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, देवधर/श्री रामलोचन महतो, कनीय अभियंता, अवर प्रमण्डल सं०– 03, देवघर /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/22
(प्रेम कुमार राय)
सरकार के अवर सचिव